(89) 34 Annx-II (Ref to Para-5(b) of letter No SPGM/SKCE/MSD/26/2012 dt 27 Jun 2012)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

C 885060

पटटानामा जमीन जरई व इमारत सकनी मालयति 1000/–एक हजार रूपये बिल मुख्ता ।
अरसा 30 साल वास्ते शिक्षण कार्य हेतु
संजय स्टाम्प विकेता खरखौदा के कमांक दिनांक 21–06–2012 अनुसार असल बर स्टाम्प मालयति 100/–रूपये
दो कितात

जो कि प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु द्वारा सत्यदेव पुत्र श्री भीमसैन पुत्र श्री शिवकर्ण निवासी अशरफपुर मटिण्डु तहसील खरखौदा जिला सोनीपत व आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब मुकाम जालन्धर बाहेते माम प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु के है । इसके प्रति सत्यदेव पुत्र श्री भीमसैन पुत्र श्री शिवकर्ण निवासी अशरफपुर मटिण्डु तहसील खरखौदा जिला सोनीपत को बरूवे रैजुलेशन 27–3–2012 हर प्रकार का अधिकार दिया हुआ है । जो कि जमीन जरई 21 कनाल 11 मरले हस्ब तफसील जैल 1–जमीन जरई 6 कनाल 6 मरले खेवट नं0– 66 मिन, 107 मिन खाता नं0– 74 मिन,124 मिन मुस्ततील व किला नम्बरान

54	54
14/2	14/3
2–2	4–4

(मलकियत प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु द्वारा श्री सत्यदेव पुत्र श्री भीमसैन पुत्र श्री शिवकर्ण निवासी अशरफपुर मटिण्डु तहसील खरखौदा जिला सोनीपत) जमीन हजां बरूवे इन्तकाल नं0 2010, 2011 मुकाम सहायक कलैक्टर द्वितिय श्रेणी खरखौदा की रूह से मिली हुई है । 2–जमीन जरई 15 कनाल 5 मरले खेवट नं0–33मिन,152मिन खाता नं0– 39 मिन ,182 मिन मुस्ततील व किला नम्बरान

54	54	
15/1	15/2	16/1
5–8	2–12	7–5

(signature)

निरन्तर–2–

5787
1

50×2 = 100/-

शिवकर्ण कालेज आफ एजुकेशन अशरफपुर मटिण्डु द्वारा इसके प्रिन्सीपल सुमन बेनीवाल पट्टा ग्रहिता पट्टानामा प्रधान शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिण्डु द्वारा सत्यदेव (दिया)

प्रलेख न: 934

दिनाँक 21/06/2012

खरडीड सबंधी विवरण

21/6/12

डीड का नाम	LEASE
तहसील/सब-तहसील	खरखोदा
गांव/शहर	असरफ पुर मटिंडु

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 1,000.00 रुपये	स्टाम्प डयूटी की राशि 100.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

:afted By: रामदत्तशर्मा

यह प्रलेख आज दिनॉक 21/06/2012 दिन गुरूवार समय 2:31:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी प्रधान शिक्षा परिषद पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी भीमसैन निवासी अशरफुर मटिण्डु द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
खरखोदा

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री प्रधान शिक्षा परिषद मटिण्डु द्वारा सत्यदेव

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी शिवकर्ण कालेज आफ एजुकेशन द्वारा प्रिन्सिपल सुमन बेनिवाल पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यवान एडवोकेट पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी सोनीपत व श्री/श्रीमती/कुमारी आनन्दप्रकाश पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी जगतप्रकाश निवासी अशरफुर मटिण्डु ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनॉक 21/06/2012

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी

खरखोदा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

C 885059

किस्म नहरी व गैर मुमकिन इमारत किते 3 जमाबन्दी साल 2005-2006 वाका रकबा मौजा अशरफपुर मटिण्डु तहसील खरखौदा जिला सोनीपत (आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब मुकाम जालन्धर बाहेते माम प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु जिसमें शिक्षण संस्था की इमारत बनी हुई है और शिक्षण का कार्य पिछले काफी अरसा से चला आ रहा है) हकियत व मिलकियत हमारी है । जमीन हजां आज तक हर प्रकार के भार से मुक्त है। इसे कब्जा दखल वाकई व मालकाना खुद मे रखते हैं। काबिज व अधिकारी हे। इसके प्रति हमें हर प्रकार के इन्तकाल का हक हासिल है। कोई मनाई पटटानामा व रोकादेश नहीं है। अतः अब हमने जमीन जरई 21 कनाल 11 मरले मजकूरा बाला ममलूका व मकबूजा खुद को बमये जूमला हक हकूक दाखिली व खारिजी रास्ता आदि को शिवकर्ण कालेज ऑफ एजुकेशन अशरफपुर मटिण्डु द्वारा इसकी प्रिन्सीपल श्रीमति सुमन बेनीवाल को अरसा तीस साल दिनांक 21-06-2012 से 20-06-2042 तक मुबलिग 1000/- एक हजार रूपये बिल मुख्ता जरे लगान पर पटटे पर दे दी है । इसका तमाम जरे लगान पहले संस्था ने लेकर वसूल पालिया है । कब्जा वाकई मौके पर पटटेदार का अरसा दराज से चला आ रहा है । अपना कब्जा हर प्रकार का उठा लिया है । इकरार यह है कि पटटेदार जमीन हजां में वास्ते शिक्षण कार्य हेतु इमारत तामीर करे, टयूबवैल,फव्वारे,पेड-पौधे,घास लगावे,दफतर बनावे,खेल का मैदान बनावे,स्टाफ की रिहायश व अन्य कार्य हेतु निर्माण कार्य करे अर्थात शिक्षण कार्य हेतु जिस प्रकार से भी आवश्यकता हो हर प्रकार से प्रयोग में लावे कोई उजर व एतराज नही होगा। बाद मियाद गुजरने तीस साल दोनो पक्ष

निरन्तर-3-

Reg. No. Reg. Year Book No.
934 2012-2013 1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला
प्रधान शिक्षा परिषद मटिण्डू द्वारा सत्यदेव________

पटटा लेने वाला
शिवकर्ण कालेज आफ एजुकेशन द्वारा प्रिन्सिपल सुमन बेनिवाल________

गवाह 1:- सत्यवान एडवोकेट________ गवाह 2:- आनन्दप्रकाश________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 934 आज दिनाँक 21/06/2012 को बही न: 1 जिल्द न: 69 के पृष्ठ न: 64 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 1,474 के पृष्ठ सख्या 13 से 15 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
खरखोदा

दिनाँक 21/06/2012

रजामन्दी से मियाद पटटा बढा सकते है । यदि सरकारी या अन्य किसी कारणवश बी0एड कालेज बन्द हो जाता है या मान्यता रदद हो जाती है तो पटटानामा यन्त्रवत कैसिंल समझा जायेगा और जमीन हजां संस्था के नाम वापिस चली जायेगी कोई उजर व एतराज नही होगा । अतः यह पटटानामा जमीन जरई सुन व समझकर तथा ठीक मानकर लिखा दिया है कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे दिनांक 21–06–2012 मुताबिक 31ज्येष्ठ 1934 शाकावार वीरवार लेखक रामदत शर्मा वसीका नवीस खरखौदा रजि0 नं0 827 उजरत 135 /–रूपये

पटटा देहिन्दा	पटटा ग्रेहिता	साक्षी	साक्षी
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब मुकाम जालन्धर बाहेते माम प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु व प्रधान शिक्षा परिषद गुरूकुल मटिण्डु द्वारा श्री सत्यदेव	शिवकर्ण कालेज ऑफ एजुकेशन अशरफपुर मटिण्डु द्वारा इसकी प्रिन्सीपल श्रीमति सुमन बेनीवाल	सत्यवान मन एडवोकेट सोनीपत पी/976/83	आनन्दप्रकाश पुत्र श्री जगतप्रकाश निवासी मटिण्डु
			आनन्द प्रकाश